भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1210

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक–इन इंडिया का संवर्धन

1210. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ख) सरकार द्वारा व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तु+सेवाआं) का मूल्य निम्नानुसार हैः

वर्ष	निर्यात (बिलियन अमेरिकी डॉलर)
2014-15	468.45
2015-16	416.60
2016-17	440.05
2017-18	498.61
2018-19	538.08
2019-20	526.55
2020-21	497.90
2021-22	676.53
2022-23	776.40
2023-24	778.25
2023-24(अप्रैल से जून)	184.46
2024-25(अप्रैल से जून)	200.33

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस, वाणिज्य विभाग एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

(ख): सरकार द्वारा व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कई प्रमुख कदमों में व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी–रेड्डी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों तथा नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। यह पहलें भारत के व्यावसायिक माहौल में सुधार लाने, निवेश को आकर्षित करने, नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा विनियामक वातावरण को व्यापार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैंः

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी दिनांक 31.08.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रुप में लॉन्च किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ नियमित रुप से निर्यात निष्पादन की निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(x) भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु साथी देशों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता में रुपए व्यापार को भी अनुमति दे दी है।

(ग): आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और कोविड–19 के कारण उत्पन्न व्यवधान को विकास के अवसर में बदलने के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में आत्मनिर्भर पैकेज, विभिन्न मंत्रालयों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआइपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आइआइएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आइपीआरएस), राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की सॉफ्ट लॉन्चिंग, आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

घरेलू आपूर्ति बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने कई पहल की हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ आयात पर काफी निर्भरता है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सरकार ने बाजार में घटिया और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की जांच करने और उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए कड़े गुणवत्ता मानक और उपाय भी शुरू किए हैं। सरकार भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने तथा आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात 2014–15 में 48,609 करोड़ रुपये से घटकर 2023–24 में 7,674 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात 2014–15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में 1,28,982 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। हाल की अवधि में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बनिक रसायन और कच्चे उर्वरक जैसे क्षेत्रों के आयात में गिरावट भी देखी गई है जहाँ आयात में क्रमशः 45.1%, 31.3% और 42.2%, की गिरावट आई है।

*****